मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2006

क्रमांक – 251/मप्रविनिआ/2006, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 42 की उप–धारा (5), (6) एवं (7) सहपठित धारा 181 की उप–धारा (2) के खण्ड (आर) एवं (एस) तथा इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं जिन्हें भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रमांक जी.एस.आर. 379 (ई) द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2005 जो ''उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम एवं विद्युत लोकपाल'' से संबंधित है के साथ पढ़ा जावेगा, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, क्रमांक 1003 – म.प्र.वि.नि. – 04 दिनांक 12 अप्रेल, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युल लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन/परिवर्धन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) ये विनियम **''उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना, विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक ए जी – 3 (i), वर्ष 2006)** कहे जावेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. विनियम 3 में संशोधन

(i) **उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना, विनियम 2004**, जिसे इसके बाद प्रधान विनियम कहा जावेगा, अनुच्छेद 3.27 से पूर्व, शीर्षक, **''अपील''** के स्थान पर निम्न शीर्षक प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''लोकपाल को अभ्यावेदन''

(ii) प्रधान संहिता में, **अनुच्छेद 3.27** में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''3.27 यदि शिकायतकर्ता फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से व्यथित है, ऐसी दशा में शिकायतकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग द्वारा नियुक्त/पदांकित विद्युत लोकपाल को परिशिष्ट–3 में निर्धारित प्रपत्रानुसार अन्तिम आदेश से तीस दिवस

के भीतर अथवा फोरम द्वारा शिकायत निराकरण हेतु विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।''

3. विनियम 4 में संशोधन

प्रधान संहिता में, **अनुच्छेद 4.34** में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''4.34 अनुज्ञप्तिधारी, अधिनिर्णय का अनुपालन, विद्युत लोकपाल द्वारा अधिनिर्णय जारी किये जाने से 30 दिवस के भीतर अथवा ऐसी समय–सीमा के भीतर जैसा कि अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जावे, करेगा । अनुपालन न किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी को आर्थिक दण्ड का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जावे ।''

4. विनियम 5 में संशोधन

प्रधान संहिता में, **अनुच्छेद 5.5** में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''5.5 (अ) विद्युत लोकपाल छः माही आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें विद्युत लोकपाल द्वारा संव्यवहारित शिकायतों की प्रकार के विवरण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु दी गई प्रतिक्रिया तथा पिछले छः माह में अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों के परिपालन के संबंध में विद्युत लोकपाल का मत दर्शाया जावेगा।

(ब) उपरोक्त अनुच्छेद (अ) के अन्तर्गत प्रतिवेदन को राज्य आयोग एवं राज्य सरकार को सुसंगत 6 माह की अवधि की समाप्ति से 45 दिवस के भीतर अग्रेषित किया जावेगा । छमाही प्रतिवेदन अप्रेल से सितम्बर एवं अक्टूबर से मार्च की अवधि हेतु होंगे ।''

5. परिशिष्ट में संशोधन

प्रधान संहिता में, परिशिष्ट 2 के बाद, निम्नानुसार अर्न्तस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''परिशिष्ट 3. विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला अभ्यावेदन का प्रपत्र

क्रमांक ..... वर्ष .....

दिनांक .....

(कार्यालय द्वारा भरा जावे)

प्रति

विद्युत लोकपाल,

(पता) .....

महोदय,

विषय : ..... के विरूद्ध शिकायत

(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम)

असंतुष्ट उपभोक्ता, जिसका नाम नीचे दर्शाया गया है, द्वारा फोरम को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. उपभोक्ता का नाम : ————————————————————

2. उपभोक्ता का पूरा पता : ————————————————————
   पिन कोड : ————————————————————
   दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक : ————————————————————

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, : ————————————————————
   पता, पिन कोड, दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक :————————————————————

4. संयोजन का विवरण तथा उपभोक्ता का लेखा क्रमांक : ————————————————————
   (कृपया संयोजन का प्रकार दर्शायें)

5. उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि : ——
   (कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)

6. अभ्यावेदन की विषय–वस्तु : ————————————————————————————————

7. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो पृथक पृष्ठ पर विवरण दर्शायें) : ——
   ——
   ——

8. क्या उपभोक्ता द्वारा फोरम का अन्तिम निर्णय प्राप्त कर लिया गया है ?
   (यदि हां, तो फोरम के आदेश के अन्तिम प्रसारित निर्णय की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

9. विद्युत लोकपाल से वांछित राहत का स्वरूप
   ——
   (कृपया आपके दावे के समर्थन में लिखित प्रमाण की 'तीन प्रतियां, यदि कोई हों, तो संलग्न करें)

10. उपभोक्ता द्वारा दावा की गई आर्थिक हानि का प्रकार एवं तत्संबंधी राशि, यदि कोई हो, जो क्षतिपूर्ति के बतौर चाही गई है, रूपये ————————————————————————

(कृपया यह दर्शाये जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणामस्वरूप हुआ है बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हों तो संलग्न करें)

11. संलग्न अभिलेखों की सूची

(कृपया समस्त अभिलेखों की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

12. **घोषणा :**

(अ) मैं/हम निम्न उपभोक्ता/उपभोक्तागण एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि

(1) उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य एवं सही है; तथा

(2) मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में तथा एतद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में किसी तथ्य को न तो छुपाया गया है अथवा न ही किसी प्रकार से अनुचित अभ्यावेदित किया गया है ।

(ब) मेरे/हमारे पास पूर्ण विश्वसनीय उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषय–वस्तु को मेरे द्वारा अथवा हम में से किसी के द्वारा अथवा विषय वस्तु से संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा इससे पूर्व विद्युत लोकपाल कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(स) मेरे/हमारे अभ्यावेदन से संबंधित विषय–वस्तु का विद्युत लोकपाल कार्यालय के द्वारा किन्हीं पूर्व कार्यवाहियों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया है ।

(द) प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु का किसी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं किया गया है ।

अथवा

प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु दिनांक ..... से ..... के समक्ष (कृपया प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ जिसके समक्ष प्रकरण लंबित है के नाम का उल्लेख करें) लंबित है तथा कार्यवाहियों संबंधी अन्तिम न्यायलयीन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता का पूरा नाम)

नामांकन : यदि उपभोक्ता उसके प्रतिनिधि को उसकी ओर से विद्युत लोकपाल अथवा विद्युत लोकपाल के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रस्तुतिकरण करने हेतु नामांकित करना चाहे तो उसे निम्न घोषणा प्रस्तुत करना होगी :–

मैं/हम, जो उपरोक्त कथित उपभोक्ता/उपभोक्तागण हैं, एतद् द्वारा श्री/श्रीमति ....., जो अधिवक्ता नहीं है तथा जिसका पता ..... है, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामांकित करता/करती/करते हूं/हैं तथा उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभिकथन, स्वीकारोक्ति अथवा अस्वीकारोक्ति मेरे/हम पर बंधनकारी होगा/होगी । इनके द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया ।

स्वीकार किया गया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर)''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव.